1

प्रेषक,

संख्या: 393 / 18(1) / 2006

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 12-जुलाई, 2006

विषय:-गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज को ग्राम सभा थथौला की 10.791 है0 अकृषिक भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-785/भूमि व्यव0-भूमि आवंटन-06 दिनांक 16-06-2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज लि0 को ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग-1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या-558/16(1)/73-रा-1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम थथौला की संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल 10.791 है0 भूमि वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना रू0 66,90,420-00 (रूपया छियासठ लाख,नब्बे हजार,चार सौ बीस मात्र) एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने रू0 5,480-00 (पांच हजार चार सौ अस्सी मात्र) के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेंचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार

.........2

30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा कम्पनी का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटित की गई भूमि में से जिस भूमि का वाद मा० न्यायालयों में लम्बित है ऐसी भूमि मा० न्यायालयों के आदेश के अधीन होगी।(subject to order of the courts)

(7) जो भूमि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाईप लाईन से आच्छादित है ऐसी भूमि को भारत सरकार द्वारा पाईप लाईन के लिये भूमि में उपयोग (अर्जन) का अधिकार अधिकृत किया गया है। इस भूमि पर पाईप लाईन एक्ट की धारा-15 के अन्तर्गत निर्माण व खुदाई दण्डनीय अपराध है, जो कि प्रश्नगत कम्पनी पर भी लागू होगा।

(8)- औद्योगिक आरथान के नियोजन के अनुरूप ही उद्योग स्थापित किया जायेगा।

(9)- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बायलॉज के आधार पर ही उद्योग का निर्माण किया जायेगा।

(10)- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं० 1 से 10 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(13)- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रा0लि0 देहरादून।
6- निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
7- श्री सुरेश त्यागी, डायरेक्टर, गोल्ड प्लस इण्डस्ट्रीज लि0, जी-192, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110085
8- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।
2-